//कार्यालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर (म.प्र.)//

क्रमांक/ 1617 /स्थापना/ 2024

अलीराजपुर दिनांक 10/09/2024

-: विज्ञप्ति:-

स्थानीय निर्वाचन कार्यालय डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) की पदपूर्ति हेतु।

पद का विवरण एवं पद की संख्या	आरक्षण की स्थिति	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	आयुसीमा	आवेदन प्रस्तुत की अंतिम ति
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) 01	अनुसूचित जनजाति	1- राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण 2.मेप आईटी द्वारा आयोजित कम्प्युटर दक्षता प्रमाणिकरण CPCT परीक्षा उत्तीर्ण 3.मध्यप्रदेश का मूल निवासी	न्युनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष। महिला अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष	25/9/24

www.newsjobmp.com

1- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) की नियुक्ति 01 वर्ष तक के लिये की जायेगी। संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार बढाई जा सकेगी।

2- आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

3- अनुसूचित जनजाति के सबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायांप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3- आवेदक का म.प्र. के किसी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

4- शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास, आरक्षण और आयु की शर्ते पूरी करने वाले आवेदक का चयन CPCT परीक्षा में कम्प्युटर प्रोफेशियेन्सी में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट से किया जावेगा। CPCT परीक्षा में अंग्रेजी और हिन्दी टायपिंग मे Qualifiy करना आवश्यक है, यद्यपि टाईपिगं मेरिट में नहीं जोडा जाएगा।

5- आवेदक को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र ए-4 साईज मे होना चाहिये, जिसके निर्धारित स्थान पर आवेदक के हस्ताक्षर हो एवं निर्धारित स्थान पर आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिये ।

6- आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले एवं विज्ञापन में दिए गए निर्देशों / नियम शर्तो को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रेषित करेंगे। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करेंगे आवेदन त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगे।

7- प्रतीक्षा सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैघ होगी

8- दावा आपति के दौरान केवल टंकन त्रुटि ही मान्य किये जायेंगे। अतिरिक्त अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे। दावा आपति की समय-सीमा उपरांत किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9- चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य/फर्जी पाई जाती है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल समाप्त की जायेगी।

10- इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भिजवा सकते है, जो अंतिम तिथि 25/9/24.... को सायं 5.30 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त हो जाना चाहिए। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा। डाक से विलंब से प्राप्त होने पर इस कार्यालय की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन न होने पर एवं अपूर्ण पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा आवेदन निरस्त माना जावेगा।

11- आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक कार्यालय कलेक्टर (स्थापना शाखा) जिला अलीराजपुर को स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिशः भेज सकते है। विस्तृत जानकारी और शर्तें तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिले की पोर्टल [redacted]alirajpur.nic.in की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

वोट कीमती हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0)- 462011
---0---

भोपाल दिनांक 28 जून, 2017

क्रमांकः एफ 08–02 / 2015 / एक / 1219

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–समस्त (मध्य–प्रदेश)

विषयः–आयोग के जिला स्तरीय कार्यालयों (स्थानीय निर्वाचन) के लिए अस्थायी तौर पर सृजित डाटा एण्ट्री आपरेटर (संविदा) की पूर्ति किये जाने बाबत ।

संदर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 19–72 / 2016 / 1 / 4, दिनांक 17 / 02 / 2017

.....

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 19–72 / 2016 / 1 / 4, दिनांक 17 / 02 / 2017 द्वारा आयोग के जिला स्तरीय कार्यालयों (स्थानीय निर्वाचन) के लिए जिलाध्यक्ष कार्यालय के अंतर्गत समस्त जिलों के लिए डाटा एण्ट्री आपरेटर (संविदा) के 51 पद दिनांक 01 / 03 / 2017 से 28 / 02 / 2018 तक की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर सृजित किया गया है । (छायाप्रति संलग्न–**परिशिष्ट–01**)

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद की पूर्ति जिला स्तर पर किये जाने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

आरक्षण

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 के तहत जिलेवार आरक्षण की जानकारी **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है ।

जिला स्तर पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद की पूर्ति हेतु प्रक्रिया

2.1 जिला स्तर पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद की पूर्ति हेतु एक न्यूनतम 03 सदस्यीय समिति का गठन किया जाकर समिति की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा नियुक्ति की जायेगी। चयन समिति में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति संवर्ग का होगा। मरिट के आधार पर 03 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाये।

2.2 उक्त पद का सृजन अस्थायी रूप से दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक की अवधि के लिए किया गया है। नियुक्त किए जाने वाले कर्मी को संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाए। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एव किसी भी प्रयोजन हेतु इसे शासकीय सेवा मान्य नहीं किया जाएगा। नियुक्त किए जाने वाले कर्मी को एक मुश्त मासिक संविदा पारिश्रमिक रूपये 10,260/–(रूपये दस हजार दो सौ साठ मात्र) पर नियुक्त किया जाए। उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है तथा नियुक्ति केवल दिनांक 28.02.2018 तक की कालावधि के लिए रहेगी। इस अवधि के पश्चात् शासन से पदों की निरंतरता प्राप्त होने पर कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने की दशा में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। उक्त पद के वेतन भुगतान की राशि उक्तानुसार आयोग के नियमित बजट से जिलों को दी जाएगी। उपरोक्त पद पर होने वाला व्यय मांग संख्या–01–मुख्यशीर्ष–2015, स्कीम कोड–6262 मद 11 वेतन भत्ते विस्तृत शीर्ष–025 संविदा कर्मियों का पारिश्रमिक में विकलनीय होगा।

2.3 कलेक्टर द्वारा जिलें में प्रचलित कम से कम 02 समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जाये। विज्ञप्ति का प्ररूप परिशिष्ट–3 संलग्न है।

2.4 आवेदन पत्र निर्धारित प्ररूप परिशिष्ट–4 मे प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र का प्ररूप मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। कलेक्टर जिले की वेबसाईट पर भी आवेदन पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।

2.5 आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को सायं 05:30 बजे तक डाक और व्यक्तिश: जमा कराये गये आवेदन पत्रों को विचारण में लिया जायेगा। व्यक्तिश: आवेदन पत्र जमा कराने वाले अभ्यर्थियों को पावती प्रदान की जायेगी।

2.6 अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का परीक्षण कर चयन समिति द्वारा निर्धारित प्ररूप परिशिष्ट–5 में एक अंतरिम मेरिट सूची बनाई जायेगी। अंतरिम मेरिट सूची मे अपात्रता का कारण स्पष्ट दर्शाया जायेगा। अंतरिम मेरिट सूची कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी। सम्बंधित आवेदकों को अंतरिम मेरिट सूची में दर्ज विवरण पर आपत्ति अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम 07 दिवस का समय दिया जायेगा। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति/अभ्यावेदन का रिकार्ड रखा जायेगा और उन्हें पावती भी दी जायेगी।

2.7 चयन समिति द्वारा अंतरिम मेरिट सूची पर प्राप्त आपत्तियों का यथोचित निराकरण कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जायेगी। अंतिम मेरिट सूची में सबसे पहले पात्र आवेदकों के नाम दर्ज होंगे और उसके पश्चात अपात्र आवेदकों के नाम भी दर्ज किये जायें।

2.8 अंतिम मेरिट सूची के प्रथम 05 आवेदकों को योग्यता सम्बंधी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन हेतु आहूत किया जायेगा। दस्तावेजों के वेरिफिकेशन हेतु आवेदक को आहूत किये जाने की सूचना स्पीडपोस्ट, ईमेल और दूरभाष पर दी जायेगी और तामीली का रिकार्ड रखा जायेगा। चयन समिति द्वारा दस्तावेजों का वेरिफिकेशन

कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्रस्तुत की जायेगी। जिन आवेदकों के दस्तावेज वेरिफाईड नहीं हो सकेंगे, उनका नाम मेरिट सूची में कारण दर्शाते हुए अपात्र श्रेणी में अंकित किया जायेगा।

2.9 चयन समिति की अनुशंसा अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा। नियुक्ति आदेश का प्ररूप **परिशिष्ट–6** संलग्न है।

2.10 कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवेदक को अधिकतम 10 दिवस का समय दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने पर आवेदक से नियम प्ररूप में अनुबंध पत्र निष्पादित कराया जायेगा। अनुबंध पत्र का प्ररूप **परिशिष्ट–7** संलग्न है। नियत समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति आदेश जारी किया जाये।

मेरिट के लिए आवश्यक अर्हता

3.1 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद के लिए राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

3.2 आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

3.3 आवेदक की आयु दिनांक 01.03.2017 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। महिला, अनूसचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

3.4 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3–15/2014/1/3, दिनांक 26.02 2015 की कंडिका 03(vi) के अनुसार जिन विभागों में संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भर्ती नियमों में उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, उन पदों के लिए कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) परीक्षा के माध्यम से स्कोर कार्ड धारित करना पर्याप्त होगा। ऐसे पदों के लिए CPCT स्कोर कार्ड के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कम्प्यूटर/आई.टी. से सम्बंधित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि आयोग के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद संविदा आधार पर स्वीकृत किये गये है और भर्ती नियमों में योग्यता का प्रावधान नहीं है अतः उक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति भी उक्त परिपत्र दिनांक 26.02.201 में उल्लेखित CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर की जानी चाहिए मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक ए 14–16/2012/56 भोपाल, दिनांक 02.06.2016 के अनुसार CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैधता अवधि परीक्षा तिथि से 02 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः वैध स्कोर कार्ड को ही विचारण में लिया जाये।

3.5 CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते है। प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी का और दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग स्पीड का होता है। नेट टाईपिंग स्पीड में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों टाईपिंग की स्पीड के आधार पर स्कोर निर्धारित होता है। नेट टाईपिंग स्पीड के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एन्ट्री

ऑपरेटर के लिए क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिन्दी और अंग्रेजी नेट टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंको के आधार पर किया जाये, अर्थात मेरिट के निर्धारण में अंग्रेजी और हिन्दी के नेट टाईपिंग का स्कोर शामिल नहीं किया जायेगा, लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो। यदि 02 या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होंगे तो अंग्रेजी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। अंग्रेजी टाईपिंग के भी अंक समान होने पर हिन्दी टाईपिंग के अंकों में को मेरिट में लिया जायेगा और यदि हिन्दी टाईपिंग के अंक भी समान होंगे तो हायर सेकण्डरी / 10+2 के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जायेगा।

पृ. क्रमांकः एफ 08--02/2015/एक/ भोपाल दिनांक जून, 2017

प्रतिलिपिः--

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल को उनके पत्र क्रं. एफ 19--72/2016/1/4, दिनांक 17/02/2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी/लेखाधिकारी(बजट) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल ।
4. आई.टी.प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग,भोपाल.

परिशिष्ट–4

जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) – डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकायें और स्वसत्यापित करें

प्रति,

कलेक्टर

जिला –

क्रमांक	विषय	जानकारी
1.	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	
2.	आवेदक का नाम (अंग्रेजी में)	
3.	पिता / पति का पूरा नाम	
4.	लिंग पुरूष / महिला / अन्य	
5.	जन्मतिथि (अंकों में)	
6.	जन्मतिथि (शब्दों में)	
7.	जाति अनारक्षित / अजा / अजजा / अपिव	
8.	पत्र व्यवहार का पता	
9.	स्थाई पता	
10.	फोन नम्बर	
11.	मोबाईल नम्बर	
12.	ईमेल एड्रेस	
13.	क्या आप मध्यप्रदेश के मूल निवासी है (हाँ / नहीं)	

14. शैक्षणिक योग्यता :–

क्रमांक	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / प्रतिशत
1.	हाई स्कूल			
2.	हायर सेकेण्डरी / 10+2			
3.	CPCT स्कोर कार्ड (कम्प्यूटर प्रोफेशियेन्सी)			
4.	CPCT स्कोर कार्ड (अंग्रेजी टाईपिंग)			
5.	CPCT स्कोर कार्ड (हिन्दी टाईपिंग)			
6.				
7.				

घोषणा पत्र

मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे अंतिम जीवित बच्चे का जन्म (यदि दो से अधिक बच्चे जीवित हो तो) 26.01.2001 के पश्चात् नहीं हुआ है।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर : ....

पूरा नाम : ....

संलग्न दस्तावेजों का विवरण

क्रमांक	विषय	संलग्न (हाँ / नहीं)
1.	हाई स्कूल की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु)	
2.	हायर सेकेण्डरी / 10+2 की अंकसूची	
3.	CPCT स्कोर कार्ड	
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाणपत्र	
5.	मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र	
6.		
7.		
8.		

*नोट – दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियाँ संलग्न की जायें।

आवेदक के हस्ताक्षर